आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–23–13–2019–पच्चीस–3

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण (आस्थान) योजना नियम 2019

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– "आदिवासी संस्कृति एवं देवठान संरक्षण (आस्थान)" योजना नियम 2019.

2 प्रस्तावना : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% अनुसूचित जनजातियों की आबादी है। यहाँ कुल 43 अनुसूचित जनजातियाँ अपनी उपजातियों सहित निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति की संस्कृति और जीवनशैली में अन्तर देखने को मिलता है। इन जनजातियों के धार्मिक विश्वास और देवी–देवता भी भिन्न हैं। प्रदेश के इन आदिवासी समुदायों में तीन प्रकार के देवी–देवताओं के प्रति आस्था देखी जाती है –कुल देवी–देवता, ग्राम देवी–देवता, समुदाय के देवी–देवता।

(i) कुल देवी–देवता से आशय परिवार के स्तर पर पूजा अर्चना की जाने वाले उन देवी–देवताओं से है जो घर में स्थापित होते है।

(ii) ग्राम देवी–देवता से आशय प्रत्येक ग्राम में स्थापित अलग–अलग जनजाति समुदायों के परम्परागत रूप से मान्य देवी–देवता से है, जिनका पूजा–अनुष्ठान विभिन्न अवसरों पर समस्त ग्रामवासी सामूहिक रूप से करते हैं।

(iii) समुदाय के देवी–देवता से आशय देवी–देवता किसी एक समुदाय/गोत्र के होते हैं। इनकी पूजा–अर्चना, अनुष्ठान आदि विभिन्न पर्व–त्यौहारों अथवा मेले मड़ई के अवसर पर कोई एक आदिवासी समुदाय अथवा किसी एक समुदाय के समान गोत्र के लोग संबंधित देवी अथवा देवता के स्थान पर एकत्रित होकर करते हैं।